

## जिला आबकारी अधिकारियों हेतु आबकारी नीति 2020–21 के प्रमुख बिन्दु

### **5.1 देशी मदिरा**

#### **5.1.1 फुटकर दुकानों हेतु आवेदन की प्रोसेसिंग फीस:-**

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस ₹.20,000/- निर्धारित की गयी है।

#### **5.1.3 देशी मदिरा का एम.जी.क्यू (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) :-**

(i) वर्ष 2020–21 हेतु वर्ष 2019–20 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू पर 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा वास्तविक उपभोग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि कर, जो अधिक हो, एम.जी.क्यू निर्धारित करना निर्धारित की गयी है।

#### **5.1.4 देशी मदिरा की बेसिक लाइसेंस फीस :-**

बेसिक लाइसेंस फीस की दर के निर्धारण की व्यवस्था को एम.जी.क्यू से पृथक करते हुये देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2019–20 की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 2020–21 हेतु देशी मदिरा दुकानों की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

#### **5.1.5 देशी मदिरा की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) :-**

वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिफल फीस में ₹.4/- प्रति लीटर की वृद्धि करते हुये प्रतिफल फीस ₹.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी./वी. के टर्म में) रखा जाना निर्धारित किया गया है।

#### **5.1.6 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें :-**

किसी एक सी0एल0–2 थोक अनुज्ञापन से अपने मासिक एम0जी0क्यू0 का अधिकतम 70 प्रतिशत तक उठान किये जाने एवं संपूर्ण मासिक एम0जी0क्यू0 का उठान कर लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापी द्वारा किसी भी सी0एल0–2 से अतिरिक्त निकासी लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

#### **5.1.8 देशी मदिरा का मूल्य निर्धारण:-**

42.8 प्रतिशत वी./वी. एवं 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्यों को अपरिवर्तित रखते हुये, 25 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. धारिता की बोतलों के अधिकतम फुटकर मूल्य में ₹.5.0 की वृद्धि की गयी है।

#### **5.1.9 देशी मदिरा की दुकानों का सूजन:-**

वर्ष 2020–21 में देशी मदिरा की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के मात्र 02 प्रतिशत तक दुकानों के सूजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है।

#### **5.1.10 देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :-**

देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण वर्ष 2019–20 की नीति के प्राविधानों के अनुसार किया जाना है।

#### **5.1.11 देशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस**

वर्ष 2019–20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5000 के अगले गुणांक में वर्ष 2020–21 के लिए नवीनीकरण फीस निर्धारित की गयी है।

#### **5.1.12 (2) देशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण**

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत देशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

#### **5.1.13 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :-**

(1) वर्ष 2020–21 हेतु ₹.1,00,000/- प्रोसेसिंग फीस के रूप में लिया जाना निर्धारित की गयी है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस ₹.90,000/- लिया जाना निर्धारित की गयी है।

(3) सी0एल0–2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019–20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गतवर्ष की भाँति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस /प्रतिभूति निर्धारित किया जाने निर्धारित की गयी है।

#### **5.1.14 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें :-**

वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता (मसाला), 36 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा, मसाला) में मात्र 200 एम.एल.की धारिता वाली पेट बोतलों, टेट्रा पैक अथवा कांच की बोतलों में रखा जाना निर्धारित किया गया है।

#### **5.1.15 देशी मदिरा के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन :-**

देशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

वर्ष 2020–21 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन की फीस ₹.65,000 प्रति ब्राण्ड तथा लेबल अनुमोदन की फीस ₹.65,000

प्रति लेबुल निर्धारित की गयी है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस लिया जाना निर्धारित किया गया है।

#### 5.1.16 देशी मदिरा के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन का नवीनीकरण

यदि देशी मदिरा के किसी ब्राण्ड की किसी धारिता के वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित लेबुल में कोई परिवर्तन (एम.आर.पी. को छोड़कर) निर्धारित की गयी नहीं है तब वर्ष 2020–21 हेतु इस लेबुल तथा संबंधित ब्राण्ड का नवीनीकरण, मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर कराया जाना निर्धारित किया गया है। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

#### 5.2.1 विदेशी मदिरा दुकानों की आवेदन व प्रोसेसिंग फीस:-

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस ₹.20,000/- निर्धारित की गयी है।

#### 5.2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जाना है।

#### 5.2.3 विदेशी मदिरा की दुकानों का सूजन:-

वर्ष 2020–21 में विदेशी मदिरा की वर्तमान वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 2 प्रतिशत तक दुकानों के सूजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है।

वर्ष 2020–21 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु नवसृजित दुकानों की न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये ₹.5,000 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाना है।

#### 5.2.4 विदेशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :-

वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा दुकानों को वर्ष 2019–20 की नीति के प्राविधानों के अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

#### 5.2.5 विदेशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2019–20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये ₹.5,000 के अगले गुणांक में वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित किया जायेगा।

#### 5.2.6 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण :-

विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों द्वारा अपने ब्राण्ड हेतु घोषित एक्स डिस्ट्रिलरी प्राइस (ई.डी.पी.) पर विदेशी मदिरा के उपरोक्त मूल्य निर्धारण का सूत्र सुपर प्रीमियम एवं स्काच श्रेणी के संबंध में संशोधन करते हुये, शेष यथावत रखते हुये वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित किया जायेगा।

#### 5.2.8 विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति

##### 5.2.8 (2) विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा।

##### 5.2.9 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :-

(1) वर्ष 2020–21 हेतु ₹.1,00,000/- प्रति अनुज्ञापन प्रोसेसिंग फीस लिया जाना निर्धारित है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस ₹.90,000/- प्रति अनुज्ञापन लिया जाना निर्धारित है।

(3) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019–20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गतवर्ष की भाँति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि निर्धारित किया जाना है।

#### 5.2.10 समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर की थोक बिक्री के एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का, वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जाना है।

#### (3) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :-

(1) वर्ष 2020–21 हेतु ₹.80,000/- प्रोसेसिंग फीस के रूप में लिया जाना निर्धारित है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस ₹.75,000/- लिया जाना निर्धारित है।

#### **5.2.11 एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा/बीयर की आपूर्ति**

समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है:-

समुद्र पार आयातित मदिरा की प्रदेश में आपूर्ति समुद्रपार उत्पादक या ब्राण्ड ओनर स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रमुख आयातक (Principal Importer), अधिकृत कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा किये जाने का प्राविधान किया जाना निर्धारित की गयी है। एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर प्रति ब्राण्ड हेतु प्रदेश में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत कर सकता है। ऐसे आपूर्तिकर्ता का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के समय आवेदक द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध करायी जायेगी:-

- (1) नाम व पता
- (2) ब्राण्ड ओनर की आयात हेतु अनुमति/प्राधिकार पत्र
- (3) ब्राण्ड के नाम जिनके आयात हेतु अधिकृत हैं
- (4) प्रोसेसिंग फीस ₹.10,000/- आनलाइन जमा की जायेगी

प्रदेश में आयातित की जाने वाली बी.आई.ओ.(बाटल्ड इन ओरिजिन) मदिरा संबंधी प्रत्येक बिल आफ इण्टी को अपलोड करना होगा। पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिये होगा जो आगामी वर्ष में तत्समय शर्तों, नीति के अनुरूप नवीनीकृत किया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन धारक द्वारा, उत्तर प्रदेश में उपरोक्त पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ही समुद्रपार आयातित मदिरा प्राप्त की जा सकती है। एफ.एल.-2डी धारक उन्हीं ब्राण्डों के इण्डेण्ट प्रस्तुत कर सकेंगे जिनके लिये आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है।

आयात परमिट जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निर्गत करने तथा विलम्ब की दशा में उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अगले 03 कार्य दिवस में निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाना निर्धारित की गयी है।

#### **5.2.12 (क) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :-**

वर्ष 2020-21 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	कस्टम बाण्ड पर हैण्डलिंग चार्ज	लाभांश	कस्टम डियूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई. एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	तालिका के अनुसार	₹.4.75+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 2.50%	₹.85+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 7.5%	4+5+6+7+8 का योग (जिसे ₹.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड आफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

वर्ष 2020-21 में परमिट फीस का निर्धारण एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम०एल०)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित परमिट फीस
₹.0 से 600 तक	₹.1200 प्रति बल्क लीटर
₹.600 से 1500 तक	₹.1260 प्रति बल्क लीटर
₹.1500 से अधिक	₹.1500 प्रति बल्क लीटर

(ख) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर आयात को देश के अन्य राज्यों की भौति आयात/निर्यात माना जायेगा।

#### **5.2.13 एफ.एल.-9, 9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस एवं प्रतिफल फीस :-**

एफ.एल.-9, 9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, की प्रतिफल फीस वर्ष 2020-21 में 60 प्रतिशत किया जाना है।

#### **5.2.17 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम**

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जाना है।

**5.2.18 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें :-**

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.50,000/- निर्धारित है।

(4) वर्ष 2019-20 में बाण्ड अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं को निम्न संशोधनों के साथ वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाना है।

(क) बाण्ड अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु इच्छुक अन्य प्रदेशों की बाटलिंग इकाई हेतु वार्षिक टर्नओवर रु. 100 करोड़ का प्रतिबंध रखा जाना निर्धारित किया गया है।

(ख) प्रदेश के बाहर की एक इकाई द्वारा प्रदेश के कई जनपदों में लिये गये बाण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स एवं उनके लेबलों का अनुमोदन संपूर्ण प्रदेश हेतु उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा एक बार ही कराया जाना निर्धारित किया गया है।

(ग) ईज़ आफ ड्लॉइंग बिजिनेस के दृष्टिगत ऐसे सभी बाण्ड एवं एफ.एल.-1ए को एक ही परिसर में मास्टर वेयरहाउस (**Master Warehouse**) के रूप में पंजीकृत किया जाना प्राविधानित किया गया है। मास्टर वेयरहाउस की पंजीकरण फीस रु.25,000 प्रति वेयरहाउस रखा जाना निर्धारित है। प्रदेश के किसी भी जनपद से आपूर्ति हेतु प्राप्त इन्डेन्ट की पूर्ति मास्टर वेयरहाउस में उपलब्ध मदिरा के किसी भी स्टाक से किया जाना अनुमन्य किया गया है।

**5.2.21 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल.की धारिता में आपूर्ति :-**

वर्ष 2020-21 में 60 एम.एल.एवं 90 एम.एल.की धारिता के बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरांग पैक में अनुमन्य किया जाना निर्धारित है।

**5.2.22 बार, क्लब लाइसेंस :-**

वर्ष 2019-20 की तुलना में ऐसे जनपदों (जहाँ कोई नगर निगम स्थित नहीं है) उनमें एवं नगर निगम जनपद क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों की दो अतिरिक्त श्रेणी सृजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

(4) वर्ष 2020-21 में होटलों के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस कमरों के आधार पर करते हुये 3 श्रेणी में तथा वर्ष 2020-21 में क्लब बार की लाइसेंस फीस क्लब के सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 श्रेणी में रखा जाना निर्धारित की गयी है। वर्ष 2020-21 में होटलों का वर्गीकरण 3 श्रेणी में करते हुये लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जाना निर्धारित की गयी है।

(ख) वर्ष 2020-21 हेतु बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:-

क्रमांक	होटल/बार के प्रकार	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के संपूर्ण जनपद क्षेत्र तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र / जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी समिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर अयोध्या, एवं फिरोजाबाद जनपद के नगर निगम क्षेत्र / जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी समिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	अन्य समस्त जनपदों के जनपद मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी समिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।

	एफ.एल.-6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण	वार्षिक लाइसेंस फीस				
1	50 कमरों तक	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख	
	51 से 100 कमरों तक	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	
	101 या उससे अधिक कमरों	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	
2	एफ.एल.-6क (समिश्र) (पांच सितारा एवं उच्च होटल)	25 लाख	20 लाख	15 लाख	10 लाख	
	एफ.एल.-6क (समिश्र) (चार सितारा होटल)	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	9 लाख	
	एफ.एल.-6क (समिश्र) (तीन सितारा होटल)	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	8 लाख	
3	एफ.एल.-7 के लिए	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख	
4	एफ.एल.-7सी (वलब परमिट)	वार्षिक लाइसेंस फीस				
	100 सदस्यों तक	3.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख	
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	4.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख	

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की संबंधित वर्ष की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

(ग) वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 में प्रदत्त अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधायें भी अनुमन्य की जायेंगी।

(1) होटल परिसर में मदिरा पीने के लिए पूर्व से अनुमन्य 5 स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रु. 50,000/- प्रति स्थान की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर मदिरा परोसने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से दिया जाना प्राविधानित है।

(2) प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से संचालित विशेष रेलगाड़ियों एवं कूज के पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में मदिरा परोसने का विशेष अनुज्ञापन प्रदान किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी उद्देश्य से एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट-बार अनुज्ञापन प्रदान किया जाना प्राविधानित है। वर्ष 2020–21 में वार्षिक लाइसेंस फीस, विशेष रेलगाड़ियों हेतु रु.10 लाख, कूज हेतु रु.3 लाख एवं एयरपोर्ट बार हेतु रु.5 लाख रखा जाना निर्धारित है।

(3) बार अनुज्ञापन आबकारी वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद स्वीकृत होने की स्थिति में लाइसेंस फीस बचे हुए त्रैमासों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से लिया जाना प्राविधानित है। स्वीकृति की तिथि से संबंधित त्रैमास की फीस भी ली जायेगी।

(4) वर्तमान में बार अनुज्ञापन की स्वीकृति समय समय पर निर्मत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मरित बार समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन स्तर से स्वीकृत किया जाता है। उक्त व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करते हुए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मरित बार समिति को समाप्त करते हुए जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करते हेतु अधिकृत किया जाना प्राविधानित किया गया है। बार लाइसेंस के संचालन एवं नियंत्रण हेतु नियमावली बनाया जाना प्राविधानित है।

#### 5.2.23 बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :-

वर्ष 2020–21 हेतु नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि बढ़ाकर रात्रि 2 बजे तक एवं तारांकित होटलों में रात्रि 4 बजे तक का अतिरिक्त समय रु.दो लाख पचास हजार रुपये प्रति 02 घन्टा, अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर अनुमन्य किया जाना है।

ओकेजनल बार अनुज्ञापन प्रातः 8 बजे से रात्रि 12 बजे (प्रशासन की अनुमति से रात्रि 1 बजे तक) के मध्य लगातार 6 घण्टे की अवधि के लिए दिया जाना प्राविधानित है। विशेष रेल गाड़ियों एवं कूज के लिए मदिरा परोसने का समय प्रदेश में यात्रा की अवधि हेतु स्वीकृत किया जाना प्राविधानित है।

### 5.2.24 ऑकेजनल बार लाइसेंस :-

वर्ष 2020–21 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

आकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	वर्ष 2020–21 हेतु आकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	₹.4,000/- प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/ बैंकेट हाल/ रिसोर्ट्स/ फार्म हाउस/ बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	₹.11,000/- प्रति दिन

### 5.2.25 प्रीमियम रिटेल वैण्डस

—न्यूनतम 10,000 वर्गफीट वाले भवन में संचालित माल में न्यूनतम 500 वर्गफीट के परिसर में श्रेणीकृत विदेशी मदिस, बीयर की फुटकर बिक्री सील्ड बोतलों, पैकेटों में भू-मृहादि के बाहर उपभोग के लिये किये जाने हेतु प्रीमियम रिटेल वैण्डस अनुज्ञापन रखीकृत किया जाना प्राविधानित है। प्रीमियम रिटेल वैण्ड अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क माल्स में ₹.८८०० वर्ष 2020–21 की शुल्क माल्स में निर्धारित है।

### 5.3.1 वाइन

- (ख) भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस वर्ष 2020–21 में ₹.75/- प्रति ली. या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो परन्तु यह अधिकतम ₹.1000 प्रति लीटर रखा जाना है।  
(ग) वर्ष 2020–21 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप से कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

### 5.4 बीयर

#### 5.4.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीस:-

वर्ष 2020–21 हेतु प्रासेसिंग फीस ₹.20,000/- निर्धारित है।

#### 5.4.2 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2020–21 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत वृद्धि कर, किया जाना है।

#### 5.4.3 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजन:-

वर्ष 2020–21 हेतु बीयर की वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ०प्र० को दिया जाना प्राविधानित है। वर्ष 2019–20 की बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2020–21 हेतु नवसृजित बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस ₹.5,000 के गुणांक में निर्धारित किया जाना है।

#### 5.4.4 बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :-

बीयर दुकानों को वर्ष 2020–21 हेतु वर्ष 2019–20 के प्राविधानों के अनुसार नवीनीकृत किया जाना है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किया जाना प्राविधानित है।

#### 5.4.5 बीयर की दुकानों की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

क्र०स०	निकाय	वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरण की निर्धारित दर (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण की निर्धारित दर (रुपये में) प्रति दुकान
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	70,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	60,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	40,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000	20,000

#### **5.4.6 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:—**

बीयर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि बीयर के संबंध में, विदेशी मदिरा की तुलना में उनके मार्जिन अत्यंत कम हैं तथा टी.सी.एस.जमा करने की अनिवार्यता के कारण यह मार्जिन भी एक लम्बी अवधि तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों के मार्जिन में यथोचित वृद्धि करते हुये वर्ष 2020–21 हेतु बियर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.का निर्धारण गतवर्ष का भांति 500 मि.लि. के केन में माइल्ड एवं स्ट्रांग के लिये समान रूप से करते हुये किया जाना निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2019–20 में केग में बीयर की आपूर्ति प्राविधानित करते हुये शासनादेश दिनांक 16.7.19 द्वारा कैग की 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया गया है जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बाटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबल अनुमोदन फीस, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न हैं। अतः ई.बी.पी. का मिलान प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा।

स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगा।

#### **5.4.7 (2) बीयर थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण**

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत बीयर थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया कराया जाना है। यह नवीनीकरण ॲनलाइन किया जायेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया गया है।

**(3) बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ.एल.–2बी अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :—**

- (1) वर्ष 2020–21 हेतु ₹.1,00,000 /— प्रोसेसिंग फीस निर्धारित है।
- (2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस ₹.90,000 /— निर्धारित है।
- (3) वर्ष 2020–21 हेतु एफ.एल.–2बी अनुज्ञापनों हेतु वर्ष 2019–20 की भौति लाइसेंस फीस की 03 श्रेणियां रखते हुये तथा कतिपय जनपदों जहाँ मात्र 01 अनुज्ञापन कार्यरत है, की श्रेणियों में परिवर्तन करते हुये उन्हें प्रथम श्रेणी में रखते हुये सभी श्रेणी की 2019–20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5000 के अगले स्तर तक बढ़ाकर निर्धारित की गयी है:—

क.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2019–20 हेतु लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	वर्ष 2019–20 हेतु प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट,	4.00	0.40
2	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, संभल, शामली, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूँ अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर,	7.00	0.70
3	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	10.00	1.00

#### **5.4.10 माइको ब्रिवरी की स्थापना:—**

उत्तर प्रदेश में माइको ब्रिवरी की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर ₹.150 /— प्रति ब.ली. को घटाकर ₹. 60 /—प्रति ब.ली. निर्धारित की गयी है।

**5.4.11 बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों, एफ.एल.–2बी अनुज्ञापनों पर आगामी वर्ष हेतु अनुमन्य बीयर का अग्रिम भण्डारण किया जाना**

ब्राण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020-21 हेतु अनुमन्य बीयर के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15.02.2020 से प्रदान किया जाना प्राविधानित है।

#### **5.5.1 मॉडल शॉप्स की आवेदन व प्रोसेसिंग फीस:-**

प्रोसेसिंग फीस 2020-21 हेतु ₹.30,000/- निर्धारित है।

#### **5.5.2 (1) मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस:-**

वर्ष 2020-21 हेतु मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर किया जाना प्राविधानित है।

#### **(2) नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस:-**

नवसृजित मॉडल शॉप्स की वर्ष 2019-20 में निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना है।

#### **5.5.3 मॉडल शॉप का सृजन :-**

वर्ष 2020-21 हेतु वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित कुल मॉडल शॉप्स की संख्या के 02 प्रतिशत तक मॉडल शॉप के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है।

#### **5.5.4 मॉडल शॉप्स अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :-**

मॉडल शॉप दुकानों को वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी नीति वर्ष 2019-20 के अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2020-21 हेतु नवीनीकृत किया जाना प्राविधानित है।

#### **5.5.5 मॉडल शॉप की नवीनीकरण फीस:-**

वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये उसे वर्ष 2020-21 के लिए 5000 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	निकाय	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	90,000	1,00,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	80,000	90,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	65,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000	50,000

#### **5.6.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-**

वर्ष 2020-21 हेतु भांग की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से आनलाइन प्रक्रिया से कराया जाना है। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

#### **5.6.2 (1) भांग की दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस :-**

वर्ष 2020-21 हेतु प्रासेसिंग फीस ₹.6000/- निर्धारित है।

#### **(2) भांग की दुकानों हेतु नवीनीकरण फीस :-**

वर्ष 2020-21 हेतु भांग दुकानों की नवीनीकरण फीस ₹.6,000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है।

#### **5.7 अन्य**

##### **5.7.1 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन**

###### **(क) भारत निर्मित विदेशी मदिरा**

वर्ष 2020-21 में ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस के डृष्टिगत ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन को एम.आर.पी.अनुमोदन से पृथक करते हुये, लेबुल के अनुमोदन सहित एक साथ ऑनलाइन कराया जायेगा। एम.आर.पी. का सही अंकन सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित आसवनी, यवासवनी, के सहायक आबकारी आयुक्त का होगा। ब्राण्ड पर इसके लिये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी जहाँ पर ब्राण्ड स्थित है, उत्तरदायी होंगे।

**(ग)** वर्ष 2019-20 में भारत निर्मित एवं अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता पेय(एल0ए0बी0) हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार है:-

क्र०सं०		मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस(रूपये में)	लेबुल अनुमोदन फीस (रूपये में)
1		भारत निर्मित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	65,000
	ख	बीयर	50,000	40,000
	ग	वाइन	7,500	7,500
	घ	एल.ए.बी.	5,000	7,500
2		अन्य देशों से आयातित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	50,000	
	ग	वाइन	30,000	
	घ	एल.ए.बी.	30,000	
3		अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	2,50,000
	ख	बीयर		1,50,000
	ग	एल.ए.बी.		20,000

वर्ष 2020–21 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित यथावत रखा जाना है।

ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस निर्धारित किया जाना है।

#### (घ) ब्राण्ड एवं लेबुल का नवीनीकरण:-

यदि किसी ब्राण्ड की किसी धारिता के अनुमोदित लेबुल वर्ष 2019–20 में कोई परिवर्तन (एम.आर.पी. को छोड़कर) निर्धारित की गयी नहीं है तब वर्ष 2020–21 हेतु इस ब्राण्ड एवं लेबुल के अनुमोदन का नवीनीकरण, मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर कराया जाना है। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

#### (ङ) ट्रेड मार्क पंजीकरण

प्रदेश में ब्राण्ड पंजीकरण हेतु उक्त ब्राण्ड का ट्रेड मार्क का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। ट्रेडमार्क पंजीकरण में लगने वाले समय एवं मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत् वर्ष 2020–21 में पंजीकृत होने वाले नये ब्राण्ड का ट्रेड मार्क पंजीकरण अनिवार्य होगा। वर्ष 2020–21 में ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा।

#### 5.7.2 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन

##### (क) आबकारी दुकानों का ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन

वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की व्यवस्था निम्न संशोधनों के साथ रखा जाना प्राविधानित है।

वर्ष 2020–21 में लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं किये जाने का प्राविधान किया गया है, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019–20 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकान का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

यदि ई-लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित नहीं होती है तब ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में विभक्त कर एक नयी दुकान उसी प्रास्तिति में सृजित कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन पुनः लाटरी के अगले चरण में कराया जायेगा। तृतीय चरण की लाटरी के पश्चात अवशेष कुल अव्यवस्थित एम.जी. क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जनपद में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण की लाटरी संपन्न करायी जायेगी।

ऑनलाइन व्यवस्था में धरोहर धनराशि के समायोजन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत् चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य

देय धनराशियों भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाना होगा।

**(ख) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना :-**

दो से अधिक बार दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने के लिये आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। जिलाधिकारी को दो से अधिक बार दुकान का दैनिक व्यवस्थापन करने के लिये अधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

**(घ) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर, को जमा किये जाने की प्रक्रिया:-**

अनुज्ञापन की समाप्ति पर देयताओं के जमा का परीक्षण कर जमा प्रतिभूति धनराशि से कटौती अथवा वापसी, जैसी भी स्थिति हो 90 दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय बचत पत्र की आंशिक/संपूर्ण धनराशि को जब्त करने में समस्याओं के कारण राष्ट्रीय बचतपत्र का विकल्प छोड़ते हुये वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति जमा करने की वर्ष 2019–20 की शेष व्यवस्था को यथावत रखना प्राविधानित है।

**(ङ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण :-**

**(1)** वर्ष 2020–21 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य है।

**(2)** देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शाप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण—पत्र (मूलरूप में) वांछित है तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाना प्राविधानित है। दिनांक 01.01.2019 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण—पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण—पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण—पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जनपद के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(3)** आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ—पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।

**(4)** वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2019–20 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण—पत्र वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**5.7.3 देशी मदिसा, विदेशी मदिसा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समय:-**

वर्ष 2020–21 में देशी मदिसा, विदेशी मदिसा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समय प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक कर दिया गया है।

**5.7.6 ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली**

**(1)** वित्तीय वर्ष 2020–21 में देशी मदिसा/विदेशी मदिसा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शाप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फॉर्सिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्याइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यूआर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने को अनिवार्य किया गया है।

**(2)** ट्रैक एण्ड ट्रैस नये स्वरूप में माह सितम्बर, 2020 के पश्चात ही प्रारम्भ हो सकेगा। प्रत्येक बोतल ट्रैक एण्ड ट्रैस फीस के रूप में इस निमित्त आने वाले व्ययभार को मदिरा के मूल्यों में सम्मिलित किये जाने हेतु रु. 0.35 का प्राविधान अनन्तिम रूप से किया गया है।

**5.7.7 विभाग का सुदृढ़ीकरण**

**(i)** प्रत्येक जनपद, आसवनी को डिजिटल अल्कोहलोमीटर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।  
**(ii)** फील्ड में कार्यरत वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाकर प्रवर्तन कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

**5.7.8 ईज़ आफ डूइंग बिज़िनेस**

**(1)** समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाना है।

(2) मदिरा के ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाना प्राविधानित है।

(3) मदिरा के परिवहन पासों का सत्यापन ऑनलाइन किया जायेगा।

(4) आबकारी राजस्व जमा करने के मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त करते हुये राजकोष के माध्यम से भुगतान अनिवार्य किया गया है।

(5) कतिपय प्रकरणों में निस्तारण हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् किया जाना प्राविधानित है:-

क्र. सं.	प्रकरण	निस्तारण का वर्तमान स्तर	निस्तारण हेतु प्राविधानित स्तर
1	बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति	शासन	आबकारी आयुक्त
2	प्रदेश में स्थित आसवनियों में किये जाने वाले निम्न परिवर्तन/परिवर्धन कार्यों की अनुमति प्रदान किया जाना:- (1) शीरा संचय टैंकों के रिपेयर का कार्य। (2) पाइप लाइनों के रिपेयर का कार्य। (3) आसवनी में स्थापित शीरा संचय एवं एथनॉल संचय टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा संचय टैंकों को बी एवं सी हैवी में उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य। (4) आसवनी में पूर्व से निर्मित बिल्डिंग में रिपेयर से सम्बन्धित कार्य। (5) अन्य सामान्य मरम्मत कार्य परन्तु ऐसे कार्य समिलित नहीं होंगे जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हों।	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
3	ड्युटी पेड एक्सपार्यर्ड बीयर के स्टाक का नष्टीकरण	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
4	14–14 दिनों के दैनिक व्यवस्थापन के पश्चात दुकानों के अग्रेतर दैनिक व्यवस्थापन की अनुमति	आबकारी आयुक्त	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
5	1. एफ.एल.-2डी, बाण्ड, बार अनुज्ञापनों को आयात परिमिट जारी किया जाना 2. आकेजनल बार अनुज्ञापन की स्वीकृति	संबंधित जिलाधिकारी	संबंधित जिला आबकारी अधिकारी (3 कार्य दिवस तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी न किये जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार)
6	आसवनियों, यवासवनियों की क्षमता वृद्धि तथा आसवनियों की पेय क्षमता वृद्धि	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, की अध्यक्षता में गठित समिति	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आबकारी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति
7	एक लाख लीटर से अधिक अल्कोहल प्रतिवर्ष मांग करने वाली एफ.एल.-39, एफ0एल0-40, एफ0एल0-41 एवं एफ0एल0-49 इकाइयों के मामले में निर्णय लिया जाना	शासन	आबकारी आयुक्त
8	एफ0एल0-3 अनुज्ञापियों को कलरिंग, ब्लेझिंग एवं रिडक्शन किये जाने की अनुमति	शासन	आबकारी आयुक्त
9	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की	आबकारी	आबकारी आयुक्त एवं मण्डलायुक्त

	फुटकर दुकानों और मॉडल शाप का अपने निर्धारित क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरण	आयुक्त	(स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अनुज्ञापियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये)
10	सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	—	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त

**5.7.9 मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के संबंध में :-**

निरीक्षण में क्यूआर. कोड जांच के दौरान एक दुकान की मदिरा दूसरी दुकान पर पाये जाने तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों में त्रैमासिक निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य उठान न किये जाने के प्रकरणों में प्रथम दो बार प्रशमन तथा तृतीय बार निरस्तीकरण निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (₹0 में)	द्वितीय बार (₹0 में)	तृतीय बार (₹0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप पर प्रत्येक त्रैमास में गतवर्ष की आलोच्य अवधि में उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर सन्निहित राजस्व के बराबर राजस्व के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान करना बाध्यकारी है, इसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में	50,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
2	एक दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर पाया जाना	25,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही